न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 84/2016 श्री बल्लू **बनाम** झिथा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 08–07–2016 प्रकरण संख्या 09/2016 ————————	
24–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। समायत शुदा बहस पत्रावली का अवलोकन कर अपील मेमों का मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आये है, कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज करने के बाद प्रतिवादीगणें को सुचित किये बिना प्रकरण को सीधे लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को सुचित व सुने बिना सिर्फ चार पंक्तियों में घेषणात्मक व विभाजन वाद को डिक्री कर दिया है, जो स्वेच्छाचारी, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय होकर पक्षकारान के श्रम व धन पर कुठाराघात है। अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–07–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	